TENDER DOCUMENT

निविदा दस्तावेज



मध्यप्रदेश वन विभाग

वृक्षारोपण हेतु उपजाऊ मिही का प्रदाय

वित्तीय वर्ष 2025-26

-: कार्यालय :-वनमण्डलाधिकारी पूर्व सामान्य वनमण्डल मण्डला (म.प्र.) 481661

Phone No. 07642-252423 E-mail - dfotemand@mp.gov.in

<u>ऑनलाईन निविदा में प्रस्तुत किए गये अभिलेखों की जानकारी का</u> गोशवारा

निविदाकारों के द्वारा ऑनलाईन निविदा में अपलोड किए गये सम्पूर्ण अभिलेखों की पेज नम्बरिंग किया जाकर गोशवारा निम्न प्रपत्र में एम.पी. टेंडर में अपलोड किया जाना अनिवार्य है:-

क्र.	अपलोड किए गए दस्तावेजों का विवरण		पेज क्रमांक	
			से	तक
1	निविदा प्रपत्र का मूल्य की राशि रू	पये 1000/- की जमा रसीद		
2	अमानत की राशि रूपये 4500/- की	जमा रसीद		
3	सामग्रियों के सेम्पल पूर्व सामान्य वनमण्डल मण्डला में जमा करने की पावती (यदि लागू हो)			
4	जी.एस.टी. प्रमाण पत्र			
5	पेनकार्ड, आधार कार्ड एवं अन्य आई.डी.			
6	100 रूपये के स्टाम्प पेपर पर पूरा अनुलग्नक-1			
7	पूरा अनुलग्नक - 2 एवं 3			
8	दुकानें और प्रतिष्ठान पंजीकरण प्रमाण पत्र			
9	ईएमडी छूट मांगी गई है तो एमएसई प्रमाण पत्र			
10	स्टार्टअप इंडिया प्रमाण पत्र यदि वार्षिक औसत टर्न ओवर या/और पिछले अनुभव से छूट मांगी गई है तो प्रमाण पत्र			
11	पिछले तीन वर्षों का आयकर रिटर्न			
12	सी.ए. प्रमाणित टर्न ओवर प्रमाण प	नत्र -		
13	अनुलग्नक - 4 के परिपालन में निविदाकार द्वारा पिछले तीन (रूपये में)			
14	अन्य अभिलेख जो अपलोड किए व	ाये हों (विवरण देवें)		

निविदाकार के हस्ताक्षर

खंड - ।

ई-निविदा आमंत्रण सूचना मध्य प्रदेश शासन

कार्यालय पूर्व सामान्य वनमण्डल मण्डला (मध्य प्रदेश) ई-निविदा आमंत्रण सूचना संख्या 2920-3 /ई-टेंडरिंग/2025-26 दिनांक 03/11/2025

1. वनमण्डलाधिकारी पूर्व सामान्य वनमण्डल मण्डला द्वारा वित्तीय वर्ष **2025-26** हेतु म.प्र. भण्डार क्रय नियम एवं सेवा उपार्जन नियम, 2015 (यथा संशोधित-2022) के अन्तर्गत निम्नलिखित ई-निविदा आमंत्रित की जाती है।

क्र.	सामग्री का विवरण	स्पेशिफिकेशन	सत्यांकार	निविदा दस्तावेजों का
			निधि	मूल्य
1	उपजाऊ मिट्टी	पौधा रोपण हेतु उपयुक्त उपजाऊ मिट्टी	4500	1000/-

- निविदा दस्तावेज़ से संबंधित सभी विवरण ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर निःशुल्क देखे और डाउनलोड किए जा सकते हैं।
- इच्छुक निविदाकार क्रेडिट/डेबिट/कैश कार्ड/इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से पोर्टल शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करने के बाद निविदा दस्तावेज को ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर दिनांक <u>08-11-2025 Time 11.00</u> बजे से दिनांक <u>28-11-2025 Time 18.00</u> बजे तक केवल ऑनलाइन खरीद सकते है।
- ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर महत्त्वपूर्ण तिथियों के रूप में उल्लिखित निविदा प्रक्रिया तिथियां लागू होंगी।
- निविदा पूर्व बैठक दिनांक <u>25-11-2025 Time 15.30</u> को पूर्व सामान्य वनमण्डल मण्डला कार्यालय में आयोजित की जाएगी जिसमें इच्छुक निविदाकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि स्वयं या वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भाग ले सकते हैं। निविदा पूर्व बैठक में केवल वे ही भाग लेने के हकदार होगें जिन्होंने ई-टेंडर फॉर्म खरीदे हैं।
- <u>ई-निविदा आमंत्रण सूचना</u> में शुद्धिपत्र/परिशिष्ट, यदि कोई हो केवल पोर्टल पर प्रकाशित किया जाएगा , समाचार पत्रों में नहीं।
- ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टलः https://www.mptenders.gov.in

वनमण्डलाधिकारी पूर्व सामान्य वनमण्डल मण्डला

खंड-॥

निविदाकारों के लिए निर्देश (आईटीबी)

(अ) महत्वपूर्ण तिथियां / सामान्य जानकारी :-

क्र.	जानकारी	विवरण
1	संक्षिप्त विवरण	पूर्व सामान्य वनमण्डल मण्डला अंतर्गत वृक्षारोपण हेतु उपजाऊ मिट्टी क्रय
		करने हेतु दरों की निविदा
2	ई-निविदा आमंत्रण सूचना संख्या	2920-3
3	निविदा शुल्क/निविदा दस्तावेज की	1,000 /- प्रोसेसिंग शुल्क (पोर्टल द्वारा स्वचालित रूप से निर्धारित)
	लागत	
4	सत्यांकार निधि	4,500/-
5	निविदा प्रस्ताव की वैधता	उस वित्तीय वर्ष के भीतर जिसमें वनमण्डलाधिकारी पूर्व सामान्य वनमण्डल
		मण्डला द्वारा निविदा आमंत्रित की गई है।
6	निष्पादन सुरक्षा	4,500/-
7	अनुमानित निविदा मूल्य	1,50,590/-
8	निविदा पूर्व बैठक की तिथि और	(पोर्टल पर शेड्यूल देखें)
	समय	
9	निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	(पोर्टल पर शेड्यूल देखें)
	(अंतिम तिथि)	
10	प्राप्त तकनीकी प्रस्तावों को खोलने	(पोर्टल पर शेड्यूल देखें)
	का समय और तिथि	
11	प्राप्त वित्तीय प्रस्तावों को	(पोर्टल पर शेड्यूल देखें)
	खोलने का समय और तिथि	
12	जमा करने का प्रकार	ऑनलाइन जमा https://mptenders.gov.in पर करें

- 1. निविदा की स्वीकृत दरों की वैधता सफल निविदाकार और वनमण्डलाधिकारी पूर्व सामान्य वनमण्डल मण्डला के बीच आपसी सहमति के अधीन 90 दिनों तक बढ़ाई जा सकती है।
- 2. निविदा में उल्लेखित की गई वस्तुओं की संभावित मात्रा सफल निविदाकार और वनमण्डलाधिकारी पूर्व सामान्य वनमण्डल मण्डला के बीच आपसी सहमति के अधीन बदली जा सकती है।
- उ. वनमण्डलिधिकारी पूर्व सामान्य वनमण्डल मण्डला (निविदाकर्ता) िकसी भी समय और बिना कोई कारण बताए प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) प्रक्रिया को समाप्त कर सकता है। निविदाकर्ता कोई भी स्पष्ट या निहित प्रतिबद्धता नहीं करता है िक इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप िकसी के साथ कोई व्यापारिक लेनदेन होगा। यह प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आर॰एफ॰पी॰) निविदाकर्ता द्वारा कोई प्रस्ताव नहीं है। इस प्रक्रिया में निविदाकर्ता निविदाकार की भागीदारी के परिणामस्वरूप , निविदाकार से और जानकारी या स्पष्टीकरण मांग सकता है। हालाँकि, निविदाकर्ता िकसी भी समय बिना कोई कारण बताए इस प्रक्रिया को समाप्त कर सकता है।

4. प्रति निविदाकार एक निविदाः

- 4.1 निविदाकार एक व्यक्तिगत इकाई या संयुक्त उद्यम हो सकता है। संयुक्त उद्यम की आवश्यकता अन्लग्नक 6 में दी गई है।
- 4.2 कोई भी निविदाकार संयुक्त रूप से या अलग-अलग एक से अधिक निविदायें प्रस्तुत करने का हकदार नहीं होगा। यदि वह ऐसा करता है , तो निविदाकार द्वारा भाग ली गई सभी निविदायें अयोग्य मानी जाएँगी।
- 5. निविदाकार को अपनी निविदा तैयार करने और प्रस्तुत करने से जुड़े सभी खर्चे वहन करना होगा , और इसके लिए सरकार पर कोई भी दावा नहीं किया जाएगा।

6. निविदाकार को सलाह दी जाती है कि यह कार्य/आपूर्ति स्थल और उसके आस-पास का दौरा करें और निरीक्षण करें तथा निविदा तैयार करने और अनुबंध में प्रवेश करने के लिए आवश्यक सभी जानकारी अपनी जिम्मेदारी पर प्राप्त करें। इस संबंध में सभी खर्चे निविदाकार को वहन करना होगा ।

(ब) निविदा दस्तावेज :-

- 7. निविदाकारों को अपनी निविदा के साथ निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड करने होंगे:-
 - जीएसटी पंजीकरण प्रमाण पत्र
 - II. पैन कार्ड
 - III. पिछले 3 वित्तीय वर्षों के आयकर रिटर्न
 - IV. 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर पूरा अन्लग्नक-1
 - V. पूरा अन्लग्नक-2
 - VI. पूरा अन्लग्नक-3
 - VII. सीए प्रमाणित टर्नओवर प्रमाण पत्र
 - VIII. द्कानें और प्रतिष्ठान पंजीकरण
 - IX. 'एमएसई प्रमाणपत्र' यदि ईएमडी छूट मांगी गई है
 - X. 'स्टार्टअप इंडिया प्रमाणपत्र' यदि वार्षिक औसत टर्नओवर या/और पिछले अनुभव से छूट मांगी गई है (अनुलग्नक 4- खंड (i) और (ii))
 - XI. निविदाकार द्वारा प्रदाय की जाने वाली सामग्रियों का सेम्पल इस कार्यालय में जमा कर पावती प्राप्त करें एवं पावती एम.पी.पोर्टल में अपलोड करना आवश्यक होगा।)
- 8. निविदाकार से निविदा दस्तावेज़ के सभी निर्देशों और शत्तों की सावधानीपूर्वक जांच करने की अपेक्षा की जाती है। ऐसा न करने पर निविदाकार पूरी तरह से जिम्मेदार होगा।

9. निविदा पूर्व बैठक (जहां लागू हो)

जहां भी निविदा दस्तावेज में निविदा पूर्व बैठक का प्रावधान है।

- 9.1 ई-निविदा आमंत्रण सूचना में स्थान, तिथि और समय का उल्लेख किया जाएगा। निविदा पूर्व बैठक के कार्यक्रम में कोई भी बदलाव केवल वेबसाइट पर अधिसूचित किया जाएगा, और निविदाकारों को अलग से सूचित नहीं किया जाएगा।
- 9.2 कोई भी संभावित निविदाकार निविदा पूर्व बैठक से पहले या उसके दौरान लिखित रूप में अपने प्रश्न उठा सकता है अथवा स्पष्टीकरण मांग सकता है। ऐसी बैठक का उद्देश्य मुद्दों को स्पष्ट करना और उस चरण में उठाए जाने वाले किसी भी मामले पर सवालों के जवाब देना है। निविदाकर्ता अपने विकल्प पर ऐसे स्पष्टीकरण दे सकता है जो उसे आवश्यक लगे।
- 9.3 निविदा पूर्व बैठक का कार्य विवरण जिसमें उठाए गए प्रश्नों का सार और दिए गए उत्तर तथा बैठक के बाद तैयार किए गए किसी भी उत्तर को शामिल किया जाएगा, वेबसाइट पर प्रस्तुत किया जाएगा।
- 9.4 निविदा पूर्व बैठक के बाद यदि निविदाकर्ता निविदा दस्तावेज में संशोधन करना आवश्यक समझता है , तो यह ऑनलाइन ई-निविदा आमंत्रण सूचना में संशोधन जारी करके किया जाएगा।

10. सत्यांकार निधि (ईएमडी)

- 10.1 सत्यांकार निधि की गणना मध्य प्रदेश भण्डार क्रय नियम एवं सेवा उपार्जन नियम , 2015 (यथा संशोधित 2022) के नियम 14 के अनुरूप की जानी है।
- 10.2 सत्यांकार निधि, निविदा शुल्क/निविदा दस्तावेज का मूल्य और प्रसंस्करण शुल्क ई-खरीद पोर्टल पर ऑनलाइन जमा किया जाएगा। ऑफलाइन जमा करना मान्य नहीं होगा। (उपर्युक्त नियमों के खंड 14.1 के अनुसार)
- 10.3 सफल सत्यांकार निधि जमा करने की रसीद की स्कैन की गई प्रति निविदा के साथ शामिल की जानी चाहिए।
- 10.4 असफल निविदाकारों की सत्यांकार निधि यथाशीघ्र वापस कर दी जाएगी। (उपर्युक्त नियमों के खंड 14.2 के अनुसार)
- 10.5 सत्यांकार निधि जब्त की जा सकती है:

10.5.1 यदि निविदाकार, निविदा वैधता अविध या इसकी विस्तारित अविध , यदि कोई हो , के दौरान अपनी निविदा बापस ले लेता है या उद्भुत मूल्य में वृद्धि करता है;

या

निविदा प्रक्रिया के दौरान , यदि निविदाकार जानबूझकर ऐसा कोई कार्य करता है जिससे निविदा के मृल्यांकन और निविदा को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में जोखिम या अनावश्यक रूप से देरी हो;

गा

सफल निविदाकार के भामले में , यदि निविदाकार, निविदाकर्ता द्वारा कार्य आदेश जारी करने के 15 दिनों के भीतर निष्पादन सुरक्षा राशि जमा करने में विफल रहता है;

या

निविदा प्रक्रिया के दौरान यदि निविदा में कोई जानकारी गलत / हेरफेर / छिपी हुई पाई जाती है। 10.6 सत्यांकार निधि जब्त करने और निविदा को अस्वीकार करने के संबंध में निविदाकर्ता का निर्णय अंतिम होगा और किसी भी परिस्थिति में उस पर सवाल नहीं उठाया जाएगा।

- 11. संपूर्ण निविदा प्रक्रिया पोर्टल के माध्यम से तीन-कवर प्रणाली में ऑनलाइन होगी। इस निविदा सूचना के संबंध में सभी अधिसूचनाएं और विस्तृत नियम एवं शर्तें वेबसाइट पर ऑनलाइन प्रकाशित की जाएंगी।
- 12. निविदा दस्तावेज डाउनलोड करने और निविदाओं को ऑनलाइन प्रस्तुत करने तथा निविदा खोलने की प्रक्रिया के लिए दिशा-निर्देश पोर्टल से डाउनलोड किए जा सकते हैं।
- 13. पूर्व-योग्यता मापदंड अनुलग्रक 4 में दिए गए हैं। निविदाकारों को अपने पूर्व-योग्यता , तकनीकी और वाणिज्यिक प्रस्तावों पर आवश्यक जानकारी केवल संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत करनी होगी। प्रारूप में कोई भी विचलन निविदा को अस्वीकार करने के लिए उत्तरदायी बना सकता है। पूर्व-योग्यता या तकनीकी लिफाफे में निविदा की वाणिज्यिक जानकारी का खुलासा निविदा को अस्वीकार करने के लिए पर्याप्त आधार होगा।
- 14. तकनीकी निविदा पोर्टल पर ऑनलाइन खोली जाएंगी।
- 15. वाणिज्यिक निविदा के अलावा निविदा के किसी भी भाग में निविदा की कीमतों का उल्लेख नहीं होना चाहिए।
- 16. निविदाकार को वाणिज्यिक निविदा ऑनलाइन अपलोड करनी चाहिए और पोर्टल पर दिए गए बिल की मात्रा (बीओक्यू) के अनुसार अपलोड करनी चाहिए।
- 17. निविदा मूल्य में लोडिंग, परिवहन, अनलोडिंग और स्टैर्किंग (यदि आवश्यक हो) में शामिल लागत शामिल होगी। निविदाकार वनमण्डलाधिकारी द्वारा निर्देशित किसी भी स्थान पर सामग्री के परिवहन के लिए उत्तरदायी होंगे, जो कि वनमण्डल की भौगोलिक सीमा तक होगा। निविदा मूल्य में जीएसटी, अन्य सभी कर और शुल्क शामिल होंगे और यह भारतीय रुपये में होगा।
- 18. सभी संभावित निविदाकारों को सलाह दी जाती है कि वे पूर्व सामान्य वनमण्डल मण्डला के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र का दौरा करें और कार्य स्थितियों से खुद को परिचित करें। इस संबंध में एक प्रमाण पत्र (अनुलग्नक 3) निविदाकार दवारा भरा जाना चाहिए। पूरा प्रमाण पत्र निविदा दस्तावेजों के साथ अपलोड किया जाना चाहिए।
- 19. निविदाकार द्वारा अनुलग्रक 1 में उल्लेखित प्रारूप के अनुसार एक स्व-घोषणा 'काली सूची में दर्ज नहीं होने संबंधित प्रमाण पत्र' निविदा दस्तावेजों के साथ रू. 100 के स्टाम्प पेपर पर प्रस्त्त किया जाना चाहिए।

(स) निविदा खोलना और उसका मूल्यांकन :-

- 20. निविदाकर्ता किसी भी या सभी निविदाओं को परियोजना के सर्वोत्तम हित में समझे जाने वाले विचारों के आधार पर बिना किसी कारण बताए, स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार स्रक्षित रखता है।
- 21. निविदाकर्ता, प्राप्त तकनीकी और वाणिज्यिक निविदाओं की जांच और मूल्यांकन करने के लिए एक निविदा मूल्यांकन समिति (TEC) नियुक्त करेगा। निविदा मूल्यांकन समिति , निविदाओं की जांच करके यह निर्धारित करेगी कि वे पूर्ण एवं उत्तरदायी हैं और निविदा प्रारूप RFP आवश्यकताओं के अनुरूप है या नहीं। निविदाकर्ता, निविदा में किसी भी अनौपचारिकता या गैर-अनुरूपता को माफ कर सकता है जो निविदाकर्ता के अनुसार भौतिक विचलन का गठन नहीं करता है।

[गैर-भौतिक विचलन छोटी-मोटी त्रुटियों या चूक को संदर्भित करता है जो निविदा की मुख्य आवश्यकताओं या मूल्यांकन प्रक्रिया की निष्पक्षता को प्रभावित नहीं करती हैं , जैसे कि छोटी-मोटी लिपिकीय त्रुटियाँ या प्रारूपण संबंधी मुद्दे।]

22. निविदाकर्ता केवल तकनीकी रूप से सफल निविदाकारों की वित्तीय निविदाएँ खोलेगा।

- 23. यदि कोई फर्म शून्य शुल्क / प्रतिफल उद्धृत करती है , तो निविदा को अनुत्तरदायी माना जाएगा और उस पर विचार नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार , यदि समिति / वनमण्डलाधिकारी की राय में , निविदाकर्ता द्वारा उद्धृत प्रतिफल या तो बहुत कम या बहुत अधिक है , तो उसे भी अस्वीकार किया जा सकता है।
- 24. यदि दो या अधिक निविदाकर्ताओं के द्वारा प्रस्तुत वित्तीय प्रस्ताव एक समान पाये जाते हैं , तो लॉटरी के माध्यम से निर्णय किया जाएगा।
- 25. कोई भी सशर्त निविदा अस्वीकार कर दी जाएगी।
- 26. अंकगणितीय त्रुटियों को निम्नलिखित आधार पर ठीक किया जाएगाः यदि इकाई मूल्य और कुल मूल्य के बीच कोई विसंगति है, जो इकाई मूल्य और मात्रा को गुणा करके प्राप्त की जाती है , तो इकाई मूल्य मान्य होगा और कुल मूल्य को सही किया जाएगा। यदि शब्दों और आंकड़ों के बीच कोई विसंगति है , तो शब्दों में राशि मान्य होगी।
- 27. निविदाकर्ता किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने और अनुबंध करने से पहले किसी भी समय निविदा प्रक्रिया को निरस्त करने और सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है जिससे प्रभावित निविदाकार या निविदाकारों के प्रति निविदाकर्ता का कोई दायित्व उत्पन्न नहीं होगा तथा निविदाकर्ता की कार्यवाही के कारणों के बारे में प्रभावित निविदाकार या निविदाकारों को सूचित करने का कोई दायित्व नहीं होगा।

(द) अनुबंध का पुरस्कार :-

- 28. सबसे कम दर उद्धृत करने वाली फर्म को निविदा दी जाएगी। यदि ऐसा होता है कि विभिन्न सामग्रियों के लिए प्राप्त न्यूनतम दरें अलग-अलग फर्मों से हैं , तो कार्य आदेश उन संबंधित फर्मों को जारी किए जाएंगे जिनकी उक्त वस्त्ओं के लिए क्रमशः सबसे कम दरें हैं।
- 29. नियोक्ता सफल निविदाकारों को 'स्वीकृति पत्र' (एलओए) (अनुलग्नक 5) जारी करके सूचित करेगा कि उसकी निविदा स्वीकार कर ली गई है। अनुबंध पर हस्ताक्षर करते समय सफल निविदाकार को शपथपत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
- 30. अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले, जिस निविदाकार को स्वीकृति पत्र जारी किया गया है, उसे इस निविदा के लिए सुरक्षा जमा के रूप में अनुभाग -।। "महत्वपूर्ण तिथियों/सामान्य जानकारी" पृष्ठ के क्रमांक 6 में निर्दिष्ट राशि जमा करनी होगी। निष्पादन सुरक्षा क्रियाशील शाखा वाले अनुसूचित बैंक (सहकारी बैंकों को छोड़कर) से साविध जमा रसीद (एफडीआर) या बैंक गारंटी के रूप में "वनमण्डलाधिकारी पूर्व सामान्य वनमण्डल मण्डला जिला मण्डला" के पक्ष में जमा की जा सकेगी। साविध जमा रसीद (एफडीआर) या बैंक गारंटी की वैधता अनुबंध की संपूर्ण अविध से 3 माह अधिक अविध के लिए होगी। यदि धारा 2 के पैरा 1 के अनुसार निविदा प्रस्ताव की वैधता कुछ अविध के लिए बढ़ाई जाती है, तो नई निष्पादन सुरक्षा जमा राशि जमा करनी होगी। हालाँकि, यदि मूल निष्पादन सुरक्षा जमा वैधता की अविध आवश्यक निर्दिष्ट तिथि के लिए वैध है , तो उसे जारी रखा जा सकता है।

निष्पादन सुरक्षा यह संतुष्ट होने पर वापस कर दी जाएगी कि अनुबंध के तहत निविदाकार के द्वारा दायित्वों का उचित निष्पादन किया गया है। हालाँकि , विभाग द्वारा निष्पादन सुरक्षा पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। निष्पादन सुरक्षा राशि की गणना मध्य प्रदेश भंडार क्रय नियम और सेवा उपार्जन नियम , 2015 (संशोधित-2022) के अनुरूप की जाएगी।

- 31. इस अनुबंध के उल्लंघन की स्थिति में या इस अनुबंध के अनुसार लागू किसी भी दंड की वसूली के लिए निविदाकर्ता को सफल निविदाकार को नोटिस दिए बिना , निष्पादन सुरक्षा की राशि को पूरी तरह या आंशिक रूप से लागू करने और विनियोजित करने का अधिकार होगा। संदेह से बचने के लिए , पक्ष स्पष्ट रूप से सहमत हैं कि निष्पादन सुरक्षा में शामिल किसी भी राशि के विनियोजन की आवश्यकता वाले किसी भी चूक की स्थिति में, निविदाकर्ता सफल निविदाकार को देय किसी भी बाद के भुगतान से कटौती कर सकता है , जैसे कि वह इस अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार निष्पादन सुरक्षा को विनियोजित कर रहा हो। निष्पादन सुरक्षा को लागू करने के कारणों में नीचे दी गई शर्तें शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:-
 - निविदाकार सामग्री देने में सक्षम नहीं है या निविदाकार ने ऐसी सामग्री प्रदाय की है जो समिति/ वनमण्डलाधिकारी की राय में आवश्यक गुणवत्ता मानक को पूरा नहीं करती है और इसलिए निरीक्षण के दौरान उसे अस्वीकार कर दिया गया है।

- II. निविदाकार या उसका कर्मचारी निविदाकर्ता के साथ अपने जुड़ाव के दौरान किसी भी गैरकानूनी गतिविधि में शामिल है।
- III. यदि निविदाकार लगातार तीन बार , निविदाकर्ता या उनके प्रतिनिधि द्वारा उठाई गई आवश्यकताओं के प्रति गैर-उत्तरदायी है।
- IV. निविदाकार समय पर बकाया राशि का भ्गतान नहीं करता है।

32. अन्बंध समझौते पर हस्ताक्षर

- 32.1 सफल निविदाकार को निष्पादन सुरक्षा और अतिरिक्त निष्पादन सुरक्षा , यदि कोई हो , प्रस्तुत करनी होगी और स्वीकृति पत्र जारी होने की तिथि से 7 दिनों के भीतर अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर करना होगा। अनुबंध समझौते का प्रारूप अनुलग्नक 7 में दिया गया है।
- 32.2 अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर को सामग्री की आपूर्ति शुरू होने की सूचना के रूप में माना जाएगा। काम शुरू करने के लिए निविदाकर्ता द्वारा निविदाकार को आम तौर पर कोई अलग आपूर्ति आदेश जारी नहीं किया जाएगा।
- 32.3 सफल निविदाकार द्वारा निष्पादन सुरक्षा , यदि कोई हो , प्रस्तुत करने या अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर करने में विफल रहने की स्थिति में , निविदाकार के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए निविदाकर्ता के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उसकी सत्यांकार की राशि (ईएमडी) जब्त कर ली जाएगी।
- 33. निविदाकर्ता, इस अनुबंध और लागू कानून के तहत किसी भी अन्य उपाय के प्रति पूर्वाग्रह के बिना , सफल निविदाकार को चूक का कारण बताते हुए 30 दिनों का लिखित नोटिस देकर अनुबंध को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और जैसा वह उचित समझे , अनुबंध को पूरी तरह या आंशिक रूप से समाप्त कर सकता है और निविदाकार को काली सूची में डाल सकता है।
- 34. अनुबंध भारत में प्रचितित और लागू कानूनों द्वारा निर्धारित कानूनों और प्रक्रियाओं द्वारा शासित होगा , ऐसे वाणिज्यिक लेनदेन/प्रसंस्करण के संबंध में समय-समय पर लागू कानून और अधिनियम के ढांचे के भीतर। सभी कानूनी विवाद केवल मध्य प्रदेश के न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के अधीन होगा।

(ई) अन्य नियम और शर्तें :-

- 36. ब्लैक स्टोन, क्रश्ड एग्रीगेट और रेत एवं सामग्री (जिनमें रॉयल्टी देय है) की आपूर्ति के संबंध में , सफल निविदाकार को प्रत्येक बिल/चालान के साथ रॉयल्टी रसीद प्रदान करनी होगी। जिन सामग्रियों में अभिवहन उत्खनन कर देय है के संबंध में अभिवहन उत्खनन रॉयल्टी एवं कर प्रचलित नियमों के पालन की जवाबदेही संबंधित प्रदायकर्ता की होगी। बिल के साथ रॉयल्टी की रसीद अनिवार्य रूप से चस्पा करनी होगी।
- 37. जहाँ भी लागू हो, सामग्री में शून्यता (Voids) की कटौती की जाएगी।
- 38. इलेक्ट्रानिक और इलेक्ट्रिकल उत्पादों में निविदाकार OEM यो OEM अधिकृत डीलर या आपूर्तिकर्ता होना चाहिए और उसी का प्रमाण पत्र निविदा के साथ संलग्न किया जाना चाहिए।
- 39. निविदाकर्ता या उसके द्वारा अधिकृत कोई भी अधिकारी आपूर्ति की गई सामग्री का कोई भी नमूना याद्दिछक रूपसे चुन सकता है और उसे प्रयोगशाला में परीक्षण करवा सकता है। सामग्री का परीक्षण NABL मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से किया जाएगा और परीक्षण शुल्क आपूर्तिकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा। यदि सामग्री की गुणवत्ता घटिया पाई जाती है, तो कोई भुगतान नहीं किया जाएगा , निष्पादन सुरक्षा जब्त की जा सकती है और आपूर्तिकर्ता को ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है।
- 40. निविदाकार का प्रस्ताव अस्वीकार किया जा सकता है यदि वे निविदा दस्तावेज , नियम और शर्तों और शुद्धिपत्र (यदि कोई हो) में मांगे गए किसी भी प्रमाण पत्र/दस्तावेज को अपलोड नहीं करते हैं।
 - 40.1 यदि निविदा की वैधता अविध के भीतर यह पाया जाता है कि निविदाकार द्वारा प्रस्तुत/अपलोड किए गए दस्तावेजों में से कोई या कुछ झूठे या धोखाधड़ी बाले हैं , तो निविदाकार का प्रस्ताव अस्वीकार किया जा सकता है। ऐसे मामले में निविदाकार का समझौता रद्द किया जा सकता है , जिसके बाद निविदाकार की सत्यांकार की राशि (ईएमडी) और निष्पादन स्रक्षा जमा जब्त की जा सकती है।

- 40.2 उपजाऊ मिट्टी, जैविक खाद, गोबर की खाद और मूरम आदि जैसी सामग्रियों की आपूर्ति के संबंध में , सामग्री को वैध स्रोत से खरीदा जाना चाहिए। इसे सुनिश्चित करने के लिए निविदाकर्ता की ओर से अधिकृत अधिकारी निविदाकार से इस संबंध में आवश्यक दस्तावेज/प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है। यदि निविदाकार ऐसा करने में विफल रहता है , तो आपूर्ति की गई सामग्री का हिसाब नहीं दिया जाएगा और इसके लिए कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।
- 40.3 यदि सामग्री की आपूर्ति निर्धारित समय में शुरू/पूरी नहीं की जाती है , तो निविदाकार का अनुबंध रद्द किया जा सकता है , जिसके बाद निविदाकार की सत्यांकार की राशि (ईएमडी) और निष्पादन सुरक्षा जमा जब्त कर ली जाएगी। यदि कार्य पूरा करने के लिए निर्धारित समय बीत जाने के बाद भी सामग्री की आपूर्ति अधूरी रहती है , तो निविदाकर्ता को अन्य म्रोतों से सामग्री का शेष भाग खरीदने की स्वतंत्रता होगी और इसमें व्यय की गई अतिरिक्त राशि , यदि सत्यांकार की राशि (ईएमडी) और निष्पादन सुरक्षा जमा से कम है , तो उसमें से समायोजित की जाएगी। यदि यह अतिरिक्त राशि सत्यांकार की राशि (ईएमडी) और निष्पादन सुरक्षा जमा से अधिक है , तो सत्यांकार की राशि (ईएमडी) और निष्पादन सुरक्षा जमा जब्त कर ली जाएगी।
- 40.4 निविदाकार द्वारा आपूर्ति की जाने वाली सामग्री की मात्रा निविदा दस्तावेज में उल्लेखित मात्रा के अनुसार अधिक या कम दोनों तरफ भिन्न हो सकती है। निविदाकार निविदाकर्ता की बदलती आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति करने के लिए बाध्य होगा।
- 41. इस निविदा सूचना या जारी किए गए कार्य आदेश में जिन प्रावधानों का उल्लेख नहीं किया गया है , उनके संबंध में निर्णय लेने का अधिकार निविदाकर्ता के पास होगा।
- 42. उपजाऊ मिट्टी आपूर्ति अंतर्गत प्रदाय की जा रही उपजाऊ मिट्टी की वर्ष 2024-25 की लेब टेस्ट रिपोर्ट संलग्न करना अनिवार्य है।
- 43. प्रत्येक कार्य आदेश या कोई भी सूचना निविदाकार को व्हाट्सअप या ईमेल के माध्यम से प्रेषित की जाती है तो वह निविदाकार को प्राप्त पर्याप्त सूचना मानी जावेगी। निविदाकार द्वारा अनुलग्नक 7 में अपनी जीवित ईमेल आईडी एवं इस बावत् अनुबंध करेगा तथा बाध्य होगा।

वनमण्डलाधिकारी पूर्व सामान्य वनमण्डल मण्डला

अनुलग्नक - 1

प्रारूपः स्वधोषणा - काली सूची में दर्ज नही होने संबंधित प्रमाण पत्र (100 के स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत किया जाना है)

	दिनांक :
सेवा में,	
वनमण्डल अधिकारी	
पूर्व सामान्य वनमण्डल मण्डला	
जिला - मण्डला म॰प्र॰	
महोदय/महोदया,	
दिनांक के निविदा संदर्भ संख्या	के प्रत्युत्तर
में,	के स्वामी/भागीदार/निदेशक के रूप में, मैं/हम
घोषणा करते हैं कि वर्तमान में हमारी कंपनी/फर्म	
का रिकार्ड बेदाग है तथा उसे किसी भी राज्य/केंद्र सरक	ार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा
अनिश्चित काल के लिए या किसी विशेष अविध के लि	ए भ्रष्ट और धोखाधड़ीपूर्ण कार्यों के लिए
अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।	· ·
हम आगे घोषणा करते हैं कि वर्तमान में हमारी	कंपनी/फर्म
निविदा प्रस्तुत करने की तिथि पर किसी भी राज्य/केन्त्र	द्र सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा
भ्रष्ट और धोखाधड़ीपूर्ण व्यवहार के अलावा अन्य कारण	ों से काली सूची में नहीं डाली गई है और न
ही अयोग्य घोषित की गई है।	
यदि यह घोषणा गलत पाई जाती है तो किसी ह	भी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकृल प्रभाव डाले
बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति पूर्णतः जब्त कर ली जाएगी	_ '
गई सीमा तक रद्द कर दिया जाएगा।	
आपका धन्यवाद,	
दिनांकः नि	विदाकार का नामः
स्थानः अपि	धेकृत हस्ताक्षरकर्ताः -
	ाठन की मुहरः -

अनुलग्नक - 2 प्रारूपः निविदा में भाग लेने वाले व्यक्ति / फर्म का विवरण

1. निविदाकार / फर्म का नामः
2. पिता का नाम
3. स्थायी पता :-
मकान कमांक
गली कमांक
स्थान
जिला पिन कोड
4. कार्यालय का पता :
गली कमांक
स्थान
जिला पिन कोड
5. सत्यांकार राशि (ई.एम.डी.) का विवरण प्रकारः एफडीआर/बैंक गारंटी/
संख्या दिनांक
राशि
बैंक का नाम
6. जीएसटी नंबर
निविदाकार के हस्ताक्षर
घोषणा
मैं, पिता/पति
घोषणा करता हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के
अनुसार सही है। यदि उपरोक्त जानकारी में कोई विसंगति पाई जाती है , तो उसके लिए मैं पूरी तरह
जिम्मेदार रहूँगा। मैंने निविदा दस्तावेज़ की सभी शर्तों , नियमों और आवश्यकताओं को पढ़ और
समझ लिया है और उनका पालन करने की शपथ लेता हँ।

निविदाकार के हस्ताक्षर

अनुलग्नक - 3

प्रारूपः सामग्री प्रदाय क्षेत्र भ्रमण प्रमाण पत्र

मैं/हम ----- जानता हूँ/जानते हैं कि सामग्री की आपूर्ति का दायरा पूर्व सामान्य वनमण्डल मण्डला का संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र होगा। मैं/हम पूर्व सामान्य वनमण्डल मण्डला के अंदर किसी भी दिए गए स्थान पर आपूर्ति करने के लिए सहमत हैं। मुझे/हमें क्षेत्र, प्रकार, स्तर, दूरी आदि के बारे में कोई आपत्ति नहीं है।

मैंने/हम ने काम/आपूर्ति स्थान का पूरी तरह से निरीक्षण किया है और निविदा के लिए आवेदन करने से पहले कार्य स्थलों के बारे में पूरी तरह से संतुष्ट हैं और सभी कार्य स्थितियों को समझते हैं।

निविदाकार के हस्ताक्षर

अनुलग्नक - 4 पूर्व-योग्यता मापदंड

निविदाकार के पास होना चाहिए:-

- i) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान निविदाकार का औसत वार्षिक कारोबार निविदाकार द्वारा दी गई निविदा के मदों की संभावित राशि के दोगुने एवं समान कार्य का अनुभव निविदा के मदों की संभावित राशि के 25% से कम नहीं होना चाहिए।
- ii) "संयुक्त उद्यम के मामले में, कम कारोबार वाली फर्म के कारोबार को मूल्यांकन के लिए माना जाएगा। यदि निविदाकार के गठन/निगमन की तारीख तीन वर्ष से कम पुरानी है, तो गठन की तारीख के बाद पूरे हुए वित्तीय वर्षों के संबंध में औसत कारोबार को इस मापदंड के लिए ध्यान में रखा जाएगा।"

अनुलग्नक - 5 स्वीकृति पत्र क्रमांक

薪/		दिनांक	
प्रति,			
मेसर्स			
(निविद	ाकार का नाम और पता)		
विषयः			
		O	
प्रिय श्री, .			
उपग्रेक्न	कार्य के लिए आपकी बोली पूर्व साम	गत्म तत्मणद्य मणद्या	की भोर में माना विव
	मं दी गई मदवार दरों के बराबर स्वीव		
	। दा गइ नदपार दरा क बराबर स्पान	भार प्रत्र त्या गई हा सामग्रा	का विवरण जिल्लानुसार
है।			
क्र. सं	सामग्री का नाम और विवरण	खरीदी जाने वाली मात्रा	स्वीकृत दर (रुपये में)
1	2	3	4
आप इस	पत्र के जारी होने की तारीख से 7 वि	दना के भातर निम्नालाखत	दस्तावज प्रस्तुत करः
क रुपरो	(आंक <u>ः</u>	हों में) की निष्पादन मरक्षा	/निष्पादन गारंटी (रूपरो
-10. VI-1			
			•
	न्सी भी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित वाणिवि		
400	प में होगी जो वस्तुओं की आपूर्ति व		
		क ना	म पर प्रातज्ञा।
ग्र भन्नतं	ध समझौते पर हस्ताक्षर करें।		
ع. الأواد	א אויואווא אין		

14

भवदीय

अनुलग्नक - 6

संयुक्त उद्यम (ज्वांइट वेंचर)

यदि संयुक्त उद्यम की अनुमित दी जाती है तो निम्निलिखित शर्तों और आवश्यकताओं को पूरा किया जाना चाहिए :-

- 1. साझेदार के रूप में दो या अधिक फर्मों के संयुक्त उद्यम द्वारा प्रस्तुत निविदाएँ निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करेंगी:
 - क. भागीदारों में से एक को प्रमुख भागीदार के रूप में नामित किया जाएगा, और इस प्राधिकरण को सभी भागीदारों के कानूनी रूप से अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा हस्ताक्षरित मुख्तारनामा प्रस्तुत करके प्रमाणित किया जाएगा;
 - ख. निविदा और, सफल निविदा के मामले में, समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे ताकि यह सभी भागीदारों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी हो;
 - ग. प्रभारी भागीदार को संयुक्त उद्यम के किसी भी और सभी भागीदारों के लिए और उनकी ओर से देयताओं को वहन करने और निर्देश प्राप्त करने के लिए अधिकृत किया जाएगा और भुगतान सहित अनुबंध का पूरा निष्पादन विशेष रूप से प्रभारी भागीदार के साथ किया जाएगा ;
 - घ. संयुक्त उद्यम के सभी भागीदार अनुबंध की शर्तों के अनुसार अनुबंध के निष्पादन के लिए संयुक्त रूप से और अलग- अलग उत्तरदायी होंगे , और इस आशय का एक कथन ऊपर [सी] के तहत उल्लिखित प्राधिकरण में शामिल किया जाएगा, साथ ही निविदा में और अनुबंध में [सफल निविदा के मामले में];
 - इ. संयुक्त उद्यम समझौते में योजना और निष्पादन के संबंध में संयुक्त उद्यम के सभी सदस्यों की भूमिका को स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए। अनुबंध की अविध के दौरान संयुक्त उद्यम के सभी सदस्यों की निष्पादन में सिक्रय भागीदारी होनी चाहिए। निविदाकर्ता की पूर्व स्वीकृति के बिना इसे बाद में बदला/संशोधित नहीं किया जाना चाहिए;
 - च. संयुक्त उद्यम समझौते को पंजीकृत किया जाना चाहिए , ताकि यह कानूनी रूप से वैध हो और सभी भागीदारों पर बाध्यकारी हो; और
 - छ. भागीदारों द्वारा किए गए संयुक्त उद्यम समझौते की एक प्रति निविदा के साथ प्रस्तुत की जाएगी।
- 2. निविदा के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता मानदंडों के साथ निविदाकार निष्पादन को निर्धारित करने के लिए संयुक्त उद्यम के प्रत्येक भागीदार के आंकड़े एक साथ जोड़े जाएंगे। सभी भागीदारों को सामूहिक रूप से निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करना होगा। इस आवश्यकता का निष्पादन करने में विफलता के परिणाम स्वरूप संयुक्त उद्यम की निविदा को अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- 3. संयुक्त उद्यम की निष्पादन सुरक्षा साझेदार प्रमुख साझेदार/संयुक्त उद्यम के नाम पर होगी।
- 4. संयुक्त उद्यम की ओर से निविदा हस्ताक्षरकर्ता (यों) को अधिकृत करने वाले साझेदारों की पावर ऑफ अटॉर्नी संलग्न करें
- 5. संयुक्त उद्यम के सभी साझेदारों के बीच हुए समझौते को संलग्न करें [और जो सभी साझेदारों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी है], जो निविदाकारों के लिए निर्देशों में दर्शाई गई आवश्यकताओं को दर्शाता है।
- संयुक्त उद्यम में भागीदारी का विवरण नीचे दिए अनुसार प्रस्तुत करें:

豖.	भागीदारी विवरण	फर्म "ए" (प्रमुख भागीदार)	फर्म "बी"	फर्म "सी
		-		

अनुलग्नक - 7
अनुबंध
यह अनुबंध, दिनांक को पूर्व सामान्य वनमण्डल मण्डला जिला मण्डला (म.प्र.) (निविदाकर्ता का नाम और पता) (जिसे आगे "निविदाकर्ता" कहा जाएगा) और मेसर्स (निविदाकार का नाम और पता) "निविदाकार" कहा जाएगा , के बीच दूसरे
पक्ष के लिए किया गया है।
जबिक निविदाकर्ता चाहता है कि निविदाकार वनमण्ड-ल अधिकारी , पूर्व सामान्य वनमण्डल मण्डला म.प्र. (अनुबंध का नाम
अब यह अनुबंध इस प्रकार प्रमाणित होता है:
 इस अनुबंध में , शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उन्हें अनुबंध की शर्तों में क्रमशः निर्दिष्ट किया गया है और उन्हें इस अनुबंध के भाग के रूप में पढ़ा और समझा जाएगा।
2. निविदाकर्ता द्वारा निविदाकार को किए जाने वाले भुगतानों के विचार में , जैसा कि आगे उल्लेख किया गया है , निविदाकार अनुबंध के प्रावधानों के साथ सभी पहलुओं में अनुरूपता में कार्य निष्पादित और पूरा करने के लिए निविदाकर्ता के साथ अनुबंध करता है।
3. निविदाकर्ता अनुबंध के प्रावधानों के तहत अनुबंध मूल्यी या ऐसी अन्य राशि जो अनुबंध द्वारा निर्धारित समय और तरीके से देय हो सकती है, के निष्पादन और पूरा होने के विचार में निविदाकार को भुगतान करने के लिए अनुबंध करता है।
 4. निम्निलिखित दस्तावेजों को इस अनुबंध के भाग के रूप में तैयार और समझा जाएगा अर्थात i. स्वीकृति पत्र ii. निविदाकारों को निर्देश iii. अनुलग्नक 1 से 3 iv. बिल की मात्रा (BOQ) और v. निविदा दस्तावेज़ में सूचीबद्ध कोई अन्य दस्तावेज़ जो अनुबंध का हिस्सा है जिसके साक्ष्य में पक्षकारों ने इस समझौते को लिखित रूप से पहले दिन और वर्ष में निष्पादित
किया है।
सामान्य मुहरइस पर निम्नलिखित की उपस्थिति में लगाई गई थीः उक्तद्वारा हस्ताक्षरित, मुहरबंद और परिदत्त, की उपस्थिति में:
वनमण्डल अधिकारी पूर्व सामान्य वनमण्डल मण्डला (म॰प्र॰) निविदाकार के बाध्यकारी हस्ताक्षर